कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल, अनूपपुर (म0प्र0)

E-mail : dfotanppur@mp.gov.in; Ph. No. (07659) 222038

क्रमांक/मा0 चि0/2018/ 465 अनूपपुर, दिनांक 25/6/2018

प्रति,

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई अनूपपुर

विषयः– अनूपपुर जिले के अंतर्गत पिपरिया से सारिसताल मार्ग लंबाई 4.500 कि.मी. के वनक्षेत्र स्थित भाग उन्नयन एवं पुल/पुलियों के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान करने बावत्।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र कमांक/एफ–5/विविध/2017/10–11/10 दिनांक 02.01.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल का पत्र कमांक/मा.चि./2018/668 दिनांक 22.01.2018.

---o0o---

विषयांतर्गत म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र कमांक/एफ–5/11/2006/10–3 दिनांक 02 जून 2016 के परिपालन में अनूपपुर जिले के वन परिक्षेत्र बिजुरी के अंतर्गत ग्राम पिपरिया से सारिसताल वन क्षेत्र के अंतर्गत कक्ष कमांक आर.एफ. 537, 538 पी.एफ. 539 के आंशिक क्षेत्र के अंतर्गत 2800 मी. लंबाई एवं 7.50 चौड़ाई (2.100 हे.) में मार्ग निर्माण हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.	प्रकरण का नाम	आरक्षित/संरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7
1	पिपरिया से सारिसताल	नंदलाल पतेरा	आर.एफ. 538, 538 पी.एफ. 539	2800	7.50	2.100 हे.

1. कोल तार बिछाने एवं मिलाने के लिये अग्नि वृक्षों से सुरक्षित दूरी पर लगाई जावेगी।
2. वन क्षेत्र के अंतर्गत पत्थरों को तोड़ने की अनुमति नहीं होगी। पूर्व से निर्मित सामग्री का सड़कों के उन्नयन हेतु उपयोग किया जावेगा।
3. उन्नयनकृत सड़कों के दोनों किनारे ईट/पत्थर से सुदृढ़ किये जावेगें।
4. किसी भी वृक्ष को नहीं काटा जावेगा।
5. सड़क चौड़ीकरण 7.50 मी0 से अधिक वन क्षेत्र में नहीं किया जावेगा।
6. वन क्षेत्र को कहीं नहीं तोड़ा जावेगा।
7. वन मण्डलाधिकारी अनूपपुर द्वारा यदि आवश्यक समझा जावेगा तो सड़क के दोनों ओर परियोजना लागत पर वृक्षारोपण करवाया जावेगा। जिसका रख–रखाव परियोजना लागत पर किया जावेगा।
8. वन भूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
9. सूर्यास्त के पश्चात कोई कार्य नहीं किया जावेगा।

.........2.....

10. वन मण्डलाधिकारी अनूपपुर समय–समय पर स्थानीय पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण एवं विकास के लिये शासन के पूर्व अनुमति प्राप्त कर कोई नई शर्त लगाने के लिये सक्षम रहेंगे।
11. सड़क उन्नयन कार्य के कारण यदि वन क्षेत्रा में कोई नुकसान होता है तो महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई अनूपपुर द्वारा क्षति की भरपाई की जावेगी।
12. उन्नयनकृत सड़क पर स्थाई चेक पोस्ट उपयुक्त स्थानों पर शासन के पूर्व अनुमति प्राप्त कर लगाये जावेंगे।
13. प्रस्तावित मार्ग के उन्नयन में मिट्टी व पत्थर एवं गिट्टी इत्यादि निर्माण सामग्री का उपयोग खदान स्वीकृत होने की उपरान्त ही मार्ग उन्नयन कार्य प्रारंभ करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
14. प्रस्तावित मार्ग का निर्माण कार्य के पूर्व मार्ग के दोनों तरफ अस्थाई वेन्च मार्ग स्थापित किया जावे तथा पूर्व एवं बाद का फोटोग्राफ प्रर्माणिकता के लिये अभिलेख प्रस्तुत किया जावे।
15. भारत सरकार/राज्य सरकार/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल एवं मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल द्वारा भविष्य में कोई शर्त रोपित की जाती है तो मान्य होगी।
16. प्रस्तावित उन्नयनकृत मार्ग का वैधानिक स्वरूप नहीं परिवर्तित किया जावेगा।
17. उपरोक्त शर्तो के अलावा भविष्य में मुख्य वन संरक्षक एवं वन मण्डलाधिकारी द्वारा लगाई जाती है तो महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई अनूपपुर को मान्य होगी।
18. उपरोक्त शर्तों के मान्य करने बावत् शर्तवार पालन प्रतिवेदन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व वन परिक्षेत्राधिकारी, उप वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

उपरोक्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन/वचन पत्र वन परिक्षेत्राधिकारी के माध्यम से तीन प्रतियों में पृथक–पृथक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर

पृ0क्रमांक/मा0 चि0/2018/ 466 अनूपपुर, दिनांक 29/1/2018

प्रतिलिपि :–

1– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2– मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3– कलेक्टर जिला अनूपपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4– उप वन मण्डलाधिकारी अनूपपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5– वन परिक्षेत्राधिकारी बिजुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर